

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(56)वित्त-1(1)आय.व्य/2016

जयपुर, दिनांक : 26.3.2018

--: आज्ञा :-

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.6/लेखा/सीटीएडी/स्वीकृतियां / 2013-14 स्वीकृति संख्या 82/2017-18 दिनांक 23.03.2018 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 70.00 लाख (अक्षरे रुपये सत्तर लाख) मात्र की सीमा तक के लिये मुख्य अभियंता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर को "मांग संख्या-30, बजट मद 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण; 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग, (20)-जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि), [28]- धार्मिक स्थलों आधारभूत निर्माण कार्य 17-वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)" से राशि आहरित कर व्यय करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

इस शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय की सूचना प्रतिमाह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उपलब्ध कराई जावेगी। इस शीर्ष के अन्तर्गत हाने वाले व्यय का अंकमिलान जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

आज्ञा से

(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. मुख्य अभियंता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त मद LOC module में Map होने के कारण मुख्य अभियंता (भवन एवं पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग को जारी साख सीमा की राशि रु. 70.00 लाख जारी करवाने की व्यवस्था करावें।
7. संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)